न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 13/2017

1 लीलाधर सैनी पुत्र मनोहर सैनी उम्र 38 साल जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजेश शर्मा पुत्र भागीरथमल शर्मा उम्र 40 साल जाति ब्राह्मण निवासी पिठौला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 नरेश सिंह तंवर उपखण्ड अधिकारी बुहाना उपखण्ड जिला झुन्झुनू राज.।
3 गणेशाराम गिरदावर हल्का बुहाना तहसील के गिरदावर हल्का गुर्जरवास जिला झुन्झुनूं।
4 सहीराम पटवारी गुर्जरवास पिठौला ग्राम निवासी सिंघाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश अवमानना
अन्तर्गत धारा 212(2) आरटीए एवं आदेश 39
नियम 2 सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री रमाकान्त गौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुनिल पारिक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 3.1.25

यह अवमानाना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा मुकदमा नम्बर 43/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय के स्थगन के उपरांत दिनांक 07.06.2017 को पुलिस जाब्ते सहित जेसीबी से रास्ता कायम किया गया है। स्पष्ट है कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना की गई है। इस कारण यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय के स्थगन के उपरांत दिनांक 07.06.2017 को पुलिस जाब्ते सहित जेसीबी से रास्ता कायम किया गया है। स्पष्ट है कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना की गई है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थगन से पूर्व की स्थिति बहाल कर दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2016 को स्थगन जारी किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.06.2016 को रास्ता खोला गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना नहीं की गई है। अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2016 को स्थगन जारी किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.06.2016 को रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खोला गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना नहीं की गई है।

अतः अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर